>

Title: Need to set up a bench of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा काफी अर्से से हाई कोर्ट बैंच स्थापना की मांग की जा रही है। मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन वर्ष 1948 से किए जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 17 जिलों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दूरी 700 कि0मी0 है तथा लखनऊ बैंच की दूरी 458 कि0मी0 जबकि अन्य प्रदेशों के उच्च न्यायालयों की दूरी इससे कहीं कम है (दिल्ली 80 कि0मी0, उत्तराखण्ड-220 कि0मी0, चंडीगढ़- 237 कि0मी0) जिसके कारण उच्च न्यायालय से अपने न्याय को पाने के लिए लोग समय पर नहीं पहुंच पाते और उनके केस लंबित ही चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों तक वकील की फीस, आने-जाने का किराया व ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही बेचारे वादी के खेत और मकान बिक जाते हैं। लोक सभा में दिनांक 18.12.2013 को पूछे गए प्रश्न संख्या 2235 के माध्यम से पता चला है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में लगभग 5,29,13,458 केस लंबित चल रहे हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश में 29,82,116 केस लंबित हैं, जोकि सभी राज्यों से सबसे अधिक 5.6 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.61 करोड़ हैं, जिसे अन्य राज्यों से तुलना करें तो हाई कोर्ट की बैंच स्थापित किए जाने से संबंधित मांग जायज है।

दिनांक 29.03.2012 को तत्कालीन कानून मंत्री जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापना को लेकर पूछे गए प्रश्न संख्या 2690 के जवाब में यह बताया है कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और जवाब के साथ बैंच स्थापना से संबंधित विधान का विस्तृत वर्णन भी दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं पिछले 3 वर्ष का ही जिक्र क्यों किया गया है। 30 वर्ष का क्यों नहीं किया गया है। जिसके अंतर्गत 1955, 1976 व 1990 में राज्य सरकारों से आए प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की।

मैं सरकार का ध्यान अतीत की ओर दिलाते हुए बताना चाहूंगा कि सन् 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ0 सम्पूर्णानंद द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके बाद आए 14 मुख्यमंत्रियों ने भी समय-समय पर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। वर्ष 1986 में केन्द्रीय कानून मंत्री जी ने भी राज्य सभा में दिए गये वक्तव्य में तथा अब तक आए लगभग सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आगरा में स्थापित करने की बात कही जा चुकी है।

हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना को लेकर देश भर के राज्यों में प्रस्ताव केन्द्र सरकार में आते रहे हैं, लेकिन जटिल प्रक्रिया होने के कारण अधिकांश प्रस्ताव पर स्वीकृति संभव नहीं हो सकी है। हालांकि बैंच स्थापना को लेकर अनेकों मतभेद हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की परेशानियों को देखते हुए बैंच स्थापित कया जाना आवश्यक है। अतः मेरा माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पहल करने की कृपा करें।